GCMS-2025/188

APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी..........मुकाम........कोटा........

.........छीतरलाल.........बनाम.........सरकार.........

....नं. ....35.......सन्.....2025.....

किस्म मुकदमा.......136 L.R.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/4/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी छीतर लाल यादव की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी छीतर लाल यादव की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 30/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/4/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी छीतर लाल यादव की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि ग्राम बनियानी पटवार हल्का बनियानी तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता सं0 नए 245 पुराना 212 खसरा नं0 1547 रकबा 1.52 हैक्टर में प्रार्थी का हिस्सा 13/354 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 03.04.2025 को विक्रेता नईमुद्दीन उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री अमीनुद्दीन निवासी केसर बाग पुलिस लाईन कोटा से क्रेय की थी जिसे की दिनांक 03.04.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1894 में पृष्ठ संख्या 64 क्रसं0 202503123104141 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5886 के पृष्ठ संख्या 161–170 पर चस्पा किया गया। विक्रेय पत्र व स्दाम्प में प्रार्थी का सही नाम छीतर लाल यादव दर्ज है। परन्तु नामांतरण दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम छित्तर लाल यादव दर्ज किया गया है। जिसे की संशोधित करते हुए छीतर लाल यादव किया जाना अपेक्षित है। जिसे न्यायिक क्षेत्र अधिकार में होने से माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में आवेदन दुरस्त कराया जाना अपेक्षित है। उक्त खाता संख्या नया 245 पुराना 212 खसरा नं0 1547 रकबा 1.52 हेक्टर में प्रार्थी का हिस्सा 13/35 वाके ग्राम बनियानी पटवार हल्का बनियानी तह0 लाडपुरा जिला कोटा के संबंध में प्रार्थी का नाम सही होने से किसी प्रकार का विवाद का सामना न करना पड़े इस कारण से नाम शुद्ध कराने का वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अत्यन्त जरूरी हो गया है। अतः माननीय न्यायालय वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बनियानी के खाता संख्या नया 245 पुराना 212 खसरा नं0 1547 रकबा 1.52 हेक्टर किस्म भूमि बारानी तृतीय हिस्सा 13/35 में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम छीतर लाल यादव किए जाने का निर्णय कर न्याय प्रदान करने की कृपा करें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी छीतर लाल यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम बनियानी के खाता संख्या नया 245 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम छित्तर लाल यादव दर्ज हो गया है जो कि स्वतः स्वीकृत नामान्तरण के कारण हुआ है। प्रार्थी छीतर लाल यादव द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम बनियानी तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या 245 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम छित्तर लाल यादव पुत्र मदन लाल यादव के स्थान पर छीतर लाल यादव पुत्र मदन लाल यादव करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कोटा	

(मोहर: न्यायालय ... उपखण्ड अधिकारी कोटा)